कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी।

पत्रांकः 49 /D.L.S.A./कौशाम्बी दिनांकः 17.02.2024

साक्षात्कार हेतु विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं0 287/एसएलएसए–99/2019 (हैदर/आरआई), दिनांकित 26.01.2024 द्वारा LADCS (Legal Aid Defence Counsel System) Scheme के अन्तर्गत एक चीफ, एक डिप्टी तथा दो असिस्टेंट लीगल एड काउन्सिल के पदों पर चयन किया जाना है। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान में गठित चयन समिति दिनांक 20.02.2024 से दिनांक 22.02.2024 को साक्षत्कार हेतु बैठक करेगी। आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार निम्नांकित दिनांक/स्थान/समय को किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

कम सं0	साक्षात्कार का दिनांक	आवेदनकर्ताओं की श्रेणी	साक्षात्कार हेतु रिपोर्टिंग स्थान/समय
1	20.02.2024	Chief Legal aid defence counsel	विश्राम कक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष अपराह्न 03:00 बजे
2	20.02.2024	Deputy Chief Legal Aid Defence Consel	
3	21.02.2024/ 22.02.2024	Assistant Legal Aid Defence Counsel	

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु

समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की मूल प्रपत्र, उनके द्वारा कम से कम 30 सत्र परीक्षणीय मामलों में अधिवक्ता के रूप में किए गए कार्य के संबंध में वकालतनामा व निर्णय की सत्यापित प्रति तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र के साथ उपस्थित हों।

2. डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की मूल प्रपत्र, उनके द्वारा कम से कम 20 सत्र परीक्षणीय मामलों में अधिवक्ता के रूप में किए गए कार्य के संबंध में वकालतनामा व निर्णय की सत्यापित प्रति तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र के साथ उपस्थित हों।

3. असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद हेतु

समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार के समय अपनी समस्त शैक्षिक योग्यता की मूल प्रपत्र, उनके द्वारा फौजदारी मामलों में शून्य से तीन वर्ष के वकालत के अनुभव संबंधी प्रपत्र तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी अर्हताओं के संबंध में आवश्यक प्रपत्र के साथ उपस्थित हों।

माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि साक्षात्कार तिथि की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी को फोन कॉल/मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित न होने पर साक्षात्कार अवसर पुनः देय नही होगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

साक्षात्कार विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, कौशाम्बी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उक्त साक्षात्कार विज्ञप्ति माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी को सादर अनुमोदनार्थ प्रेषित।

Approved
17/02

अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कौशाम्बी

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कौशाम्बी।